न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 5, बरेली

दिनांक 20.08.2022

अभियुक्त **नासिर** की ओर से मु0अ0सं0 287/2022 धारा 420, 489बी., 489सी. भा0दं0सं0 थाना मीरगंज, जिला बरेली के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध कारित नही किया गया है। उसे बेवजह झूॅठा फंसा दिया गया है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा जमानत का विरोध किया गया

सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया

अभियुक्त द्वारा कारित प्रस्तुत अपराध गंभीर प्रकृति का, अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। उपरोक्तानुसार अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **नासिर** द्वारा उपरोक्त मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 5,
बरेली।